



सूचना का अधिकार
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर (छ.ग.)
FAX (O) - 07752-224200, PHONE (O) - 07752-230030, 222302
Website : www.cimsbilaspur.ac.in, email- deancims@gmail.com

क्रमांक / S775/सिम्स/सू.प्र./2021

बिलासपुर, दिनांक 20/04/2021

सूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत अलग-अलग आवेदकों द्वारा अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विदित हो कि संपूर्ण बिलासपुर जिले में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर, छ.ग. के आदेश क्रमांक/रीडर-जि0दण्डा0/1820/2021 दिनांक 11 अप्रैल, 2021 के अनुक्रम में आदेश क्रमांक/रीडर-जि0दण्डा/1902/2021 बिलासपुर दिनांक 18 अप्रैल 2021 के अनुसार 26/04/2021 तक जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कोविड-19 की रोकथाम हेतु धारा 144 लागू है एवं लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, साथ ही साथ सामाजिक दूरी भी बनाया जाना आवश्यक है। उक्त तारतम्य में अपील सुनवाई की आगामी तिथि दिनांक 26/04/2021 के बाद समय निर्धारित किया जायेगा।

(डॉ. एस. के. नायक)

प्राध्यापक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान
बिलासपुर, छ.ग.